

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
-::कार्यालय-आदेश::-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

S.NO	NAME AND POSTING PLACE	DESIGNATION	DOB	DATE OF JOINING /FIXATION FIRST APPOINTMENT AND DESIGNATION	OF 10/20/30 yrs	DUE DATE OF FIRST/ SECOND/ THIRD ACP	Grade Pay/ Pay Matrix Level	
1	श्रीमती रजनी शर्मा, (RJJP199018016552) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली (222172) पं.स.-उनियारा जिला-टोंक	प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	06-06-1963	02-07-1990	II Gr	30	02-07-2020	L-15

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे।

(काना राम)

आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक:-24-09-2023

क्रमांक:-शिविरा/मा/सस्था/ए-4/रजनी शर्मा/2023-13960

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, टोंक।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, ब्लॉक उनियारा, जिला टोंक।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली (222172) पं.स. उनियारा जिला-टोंक।
4. श्रीमती रजनी शर्मा से.नि., प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली (222172) पं.स. उनियारा जिला-टोंक।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.24 15:18:57 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4769566

